कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांक–स्था0/14/2024/2835 दिनांक– 11.08.2025

–:: आदेश ::–

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 7558 दिनांक 17.12.2024 एवं 1881 दिनांक 27.05.2025 की निरन्तरता में सामान्य नियम (दीवानी एवं फौजदारी), 2018 के आदेश 20 नियम 42 के अनुसार वाणिज्यिक न्यायालय मुख्यालय पर अवस्थित दीवानी न्यायालयों के लिए वर्ष–2025 हेतु निम्नांकित अभिभाषकगणों को पार्टीशन्स सर्वे, मुआयना, गवाहों के बयान लेने आदि कार्यो के लिए कमिश्नर (आयुक्त) नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्त क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक–17 P.I. दिनांक 10.12.1973 में दिये गये निर्देशों की भी कठोरता से पालना की जावे। प्रत्येक संबंधित न्यायालय के रीडर द्वारा कमिश्नर की नियुक्ति का रजिस्टर नियमानुसार संधारित किया जावेगा।

वाणिज्यिक न्यायालय परिसर पर स्थित 04 वाणिज्यिक न्यायालयों हेतु
साक्षी की परीक्षा व प्रतिपरीक्षा/सर्वेक्षण एवं मौका निरीक्षण/अन्य प्रयोजनों के कार्यों के लिए

Sr. No.	Name of Advocate (Sarva Shri/Smt./Ms.)	Enrolment No.	for the Purpose of
1.	**Santosh Chaturvedi**	**R/1122/2000**	Witness & Commissioner
2.	**Shama Khan**	**R/937/2010**	Witness
3.	**Rekha Jain**	**R/1131/2011**	Witness

11.8.25

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांक–स्था0/14/2024/2836 दिनांक– 11.08.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र।
2. अध्यक्ष, दी कॉमर्शियल कोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर
3. सिस्टम ऑफिसर को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय।
5. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

11.8.25

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय